कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/12/2026

पुरूषोत्तम लाल पुत्र श्री चरन सिंह, निवासी सिरसौंदा, तहसील व पो0 ऑ0 रूपबास, जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी रूपवास ....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 04.03.2026

आदेश

अपीलार्थी पुरूषोत्तम लाल पुत्र श्री चरन सिंह, निवासी सिरसौंदा, तहसील व पो0 ऑ0 रूपबास, जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास, से सूचना चाही गई थी। अपील में अपीलार्थी का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी, ने अपने जबाब पत्रांक आर.टी.आई./26/2440 दिनांक 06.02.2026 जिसमें अंकित किया गया है कि अधिनियम की धारा 8(1)(i), 8(1)(a), 8(1)(c), 8(1)(d) तथा 8(1)(h) के प्रावधानों के तहत अदेय बताने सम्बन्धी विधिविरूद्ध तथ्य देकर सूचना प्रदत्त करने से इंकार कर दिया है से व्यथित होकर अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना उपखण्डाधिकारी रूपवास से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/26/100 दिनांक 13.02.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी रूपवास से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी रूपवास से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी का अपील में कथन है कि लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी रूपवास ने चाही गई सूचना, तृतीय पक्ष की माने जाने के सम्बन्ध में धारा 11 के तहत सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 12 / 2026

पुरूषोत्तम लाल बनाम लो.सू.अ. उपखण्डाधिकारी रूपवास

जारी करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्योंकि सूचना व्यक्तिगत नहीं होकर पदीय हैसियत से सृजित लोक दस्तावेजों से प्राप्त सूचना है। लोक सूचना अधिकारी ने जनहित की उपेक्षा करके पद का दुरूपयोग करके विधिविरूद्ध तथ्य देकर सूचना देने से इन्कार किया गया है। उक्तानुसार प्राप्त अपील पर लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास के राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई है, ना ही इस कार्यालय को अपील के सम्बन्ध में जबाब प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये प्रावधानों के तहत सूचना के सम्बन्ध में विधिवत कार्यवाही कर अधिनियम की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर